प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

रिट याचिका सेवा सं 3775/2025

आदेश सुरक्षित किया गया :06.11.2025

आदेश पारित किया गया :11.11.2025

अनिल तिवारी पिता श्री राम गोपाल तिवारी उम्र लगभग 59 वर्ष, निवासी प्रयाग कुंज, वार्ड नंबर 23, डीडी प्लाजा के पीछे, जांजगीर, जिला– जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़– 495668

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, मुख्य सचिव के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

2. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

3. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

4. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।

5. अनुभाग अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

–––––––उत्तरवादी

रिट याचिका सेवा सं 3845/2025

राजेंद्र कुमार पाध्ये पिता श्री राम भाऊ पाध्ये उम्र लगभग 49 वर्ष निवासी 501, वृन्दावन टावर, प्रदीप्ति नगर, बोरसी, जिला – दुर्ग, छत्तीसगढ़

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा , सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना प्रकोष्ठ), मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, जिला – रायपुर, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2.आयुक्त जनसंपर्क निदेशालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर, अटल नगर, जिला – रायपुर, छत्तीसगढ़

3. अध्यक्ष खोज समिति, अपर मुख्य सचिव के द्वारा , गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर, जिला – रायपुर, छत्तीसगढ़

–––––––उत्तरवादी

रिट याचिका सेवा सं 3844/2025

राजेंद्र कुमार पाध्ये पिता स्वर्गीय श्री राम भाऊ पाध्ये, 49 वर्ष, निवासी 501, वृंदावन टॉवर प्रदीप्ति नगर, बोरसी, जिला – दुर्ग (सी.जी.)

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य सचिव के द्वारा , सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना प्रकोष्ठ) मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (सी.जी.)

2. आयुक्त जनसंपर्क निदेशालय इंद्रावती भवन नया रायपुर अटल नगर जिला – रायपुर (छ.ग.)

3. अध्यक्ष खोज समिति,अपर मुख्य सचिव के द्वारा गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर जिला रायपुर (सी.जी.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

–––––––उत्तरवादी

रिट याचिका सेवा सं 3811/2025

डॉ. दिनेश्वर प्रसाद सोनी (डी.के. सोनी) पिता स्व रामजी प्रसाद सोनी , 47 वर्ष निवासी नवापारा, अंबिकापुर, जिला सरगुजा (सी.जी.)

––– याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य,इसके सचिव के द्वारा , सामान्य प्रशासन विभाग (आरटीआई प्रकोष्ठ), मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर (सी.जी.)

2. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर (सी.जी.)

3. खोज समिति, अध्यक्ष के द्वारा , अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर (सी.जी.)

4. आयुक्त जनसंपर्क कार्यालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (सी.जी.)

--------उत्तरवादी

रिट याचिका सेवा सं 3815/2025

डॉ. दिनेश्वर प्रसाद सोनी (डी.के. सोनी) पिता स्वर्गीय रामजी प्रसाद सोनी उम्र लगभग 47 वर्ष निवासी नवापारा, अंबिकापुर, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य इसके सचिव के द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग (आरटीआई प्रकोष्ठ), मंत्रालय, महांडी भवन, अटल नगर, रायपुर छत्तीसगढ़

2. उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महांडी भवन, अटल नगर, रायपुर छत्तीसगढ़

3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, अध्यक्ष के द्वारा ,गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. आयुक्त जनसम्पर्क कार्यालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

--------उत्तरवादी

याचिकाकर्ता हेतु :श्री शरद मिश्रा, श्री अमियकांत तिवारी, श्री प्रसून अग्रवाल एवं सुश्री स्वेक्षा शर्मा, अधिवक्ता
उत्तरवादी हेतु :श्री वाई.एस. ठाकुर, अतिरिक्त अधिवक्ता
हस्तक्षेपकर्ताओं हेतु :श्री अली असगर और श्री शांतम अवस्थी, अधिवक्ता
मध्यस्थ हेतु :श्री आर. के. मिश्रा अधिवक्ता

माननीय श्री नरेन्द्र कुमार व्यास,न्यायाधीश

(सीएवी आदेश)

1. चूंकि इन सभी रिट याचिकाओं में कानून और तथ्यों से संबंधित एक ही प्रश्न शामिल है, इसलिए इनकी सुनवाई एक साथ की जा रही है और इस एक ही आदेश द्वारा इनका निराकरण किया जा रहा है।

2. याचिकाकर्ताओं का संक्षिप्त विवरण और अनुभव क्षेत्र उनकी संबंधित याचिकाओं में दिए गए कथनों से लिया गया है, जो इस प्रकार हैं:

(क) डब्लूपी(एस) संख्या 3775/2025 के याचिकाकर्ता पेशे से जनरलिस्ट हैं और रिट याचिका में उनके द्वारा किए गए कथनों के अनुसार उन्होंने लोकायत पत्रिका, दैनिक मानस वार्ता जैसे समाचार पत्रों और जनरलों में विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वे सामाजिक कार्यों में भी संलग्न रहे हैं, जैसा कि याचिका में विस्तार से बताया गया है। उन्होंने यह याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने प्रतिवादी के दिनांक 09.05.2025 के उस निर्णय को रद्द करने की प्रार्थना की है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारी को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि उनके पास इस क्षेत्र में 25 वर्ष का अनुभव नहीं है और उन्होंने याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए विचार करने की प्रार्थना की है।

(ख) याचिकाकर्ता डब्ल्यूपी(एस) संख्या 3844/2025 और 3845/2025 पेशे से अधिवक्ता हैं और उन्हें विधि के क्षेत्र में 23 वर्षों का अनुभव है और उन्होंने समिति द्वारा दिनांक 09.05.2025 को लिए गए उस निर्णय को रद्द करने की प्रार्थना की है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया गया है।

(ग) डब्लूपीपी(एस) संख्या 3811/2025 और 3815/2025 में याचिकाकर्ता पेशे से अधिवक्ता हैं और उनके पास पीएचडी की डिग्री है तथा उन्हें विधि क्षेत्र में 21 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने प्रतिवादियों को निर्देश जारी करने की प्रार्थना की है कि वे याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए विचार करें। डब्लूपीपी(एस) संख्या 3815/2025 में उन्होंने खोज समिति द्वारा शुरू की गई नियुक्ति के लिए साक्षात्कार की आगे की कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डब्लूपी(सी) संख्या 436/2018 में दिनांक 07.01.2025 को सभी राज्यों को राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया और निम्नलिखित आदेश पारित किया:5. अन्य राज्यों के संबंध में, हमने उनकी संबंधित स्थिति रिपोर्टों का अध्ययन किया है।ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश राज्यों ने रिक्त पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन नियुक्तियों की समयसीमा के संबंध में कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई है।अतः, हम झारखंड राज्य को छोड़कर सभी राज्यों को निम्नलिखित निर्देश जारी करना उचित समझते हैं:

i. आवेदकों की सूची एक सप्ताह के भीतर अधिसूचित की जाएगी;

ii. चयन समिति की संरचना और आवेदकों के चयन हेतु निर्धारित मानदंड इसके एक सप्ताह के भीतर अधिसूचित किए जाएंगे;

iii.साक्षात्कारों को पूरा करने की समयसीमा सूचित कर दी जाएगी।

यह चयन समिति की संरचना और आवेदकों को शॉर्टलिस्ट करने के मानदंडों की सूचना की तिथि से छह सप्ताह से अधिक नहीं होगी।

iv.सिफारिशें प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी उनकी जांच करेगा और दो सप्ताह के भीतर नियुक्तियां करेगा।

6. सभी राज्यों के मुख्य सचिव इस संबंध में अपने–अपने अनुपालन शपथ पत्र दाखिल करते है।

7. सभी राज्य अलग–अलग अपने–अपने आयोगों के लिए कुल रिक्तियों और संबंधित आयोगों के समक्ष लंबित आवेदनों की जानकारी प्राप्त करते है यह जानकारी भी प्रस्तुत की जाएगी।

8. वे सभी राज्य, जिन्होंने पहले ही आवश्यक नियुक्तियाँ कर ली हैं और जहाँ कोई रिक्तियाँ नहीं हैं, उपरोक्त निर्देशों का पालन करने से छूट प्राप्त हैं।"

4. मामले के अन्य तथ्य यह हैं कि राज्य सरकार ने 25.09.2022 को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के एक पद की नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन को वापस ले लिया था।इसके बाद, 07.02.2024 को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त के एक पद की नियुक्ति के लिए नया विज्ञापन जारी किया गया।इसके बाद, उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए दिनांक 04.03.2025 को एक अन्य विज्ञापन जारी किया गया।यह पद सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आता है और इस पद के लिए निर्धारित योग्यता सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के तहत दी गई है, जिसके अनुसार माननीय मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और एक मंत्रिमंडल मंत्री की समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नियुक्ति अनिवार्य है।दिनांक 04–02–2025 के विज्ञापन के अनुसार, राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित योग्यताएँ निम्नानुसार हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"योग्यता – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नियम 15 (5) एवं 15 (6) के अनुसार आवेदक विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाला प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए।आवेदक यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधान–मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं रखेगा या कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के पूर्व संबंधित व्यक्ति को लाभ का पद, कोई कारोबार या व्यापार छोड़ना बंद करना होगा।"

5. विज्ञापन के खंड 6 में यह प्रावधान है कि 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके उम्मीदवार नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19.03.2025 निर्धारित की गई थी।तदनुसार, याचिकाकर्ताओं ने अपने आवेदन जमा कर दिए, जिसके बाद प्रतिवादी ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया।यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि चयन समिति का गठन पात्रता मानदंड निर्धारित करने, उम्मीदवारों की जांच करने और अनुशंसा भेजने के लिए किया गया था।चयन समिति ने दिनांक 05.03.2025 के निर्णय के माध्यम से निर्णय लिया, जिसे वेबसाइट पर अपलोड किया गया और उपयुक्त उम्मीदवारों को निर्धारित तिथियों और स्थान पर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया।राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार 26.03.2025 को आयोजित किया जाना था। समिति ने 05.03.2025 को निम्नलिखित निर्णय लिया है:

"(1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में जारी विज्ञापन क्रमशः दिनांक 05.09.2022, 07.02.2024 एवं विज्ञापन दिनांक 29.11.2024 के संदर्भ में, आवेदन आमंत्रित किये जाने की अंतिम तिथि तक कार्यालयीन समय पर प्राप्त आवेदनों की संख्या क्रमशः 94, 58 एवं 57, कुल 209 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। कुल 209 आवेदन पत्र 155 आवेदनकर्ताओं से प्राप्त हुए। 155 आवेदनकर्ताओं में से 114 आवेदनकर्ताओं द्वारा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है

(2) गठित सर्च समिति द्वारा सभी आवेदनों की प्रारंभिक स्क्रूटनी किया गया। आवेदनों की संख्या अधिक होने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि, आवेदक के आवेदन–पत्र और संलग्न दस्तावेजों में उल्लेखित अनुसार जो विधि, विज्ञान और प्रोद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क या प्रशासन और शासन में अनुभव 30 वर्ष या उससे अधिक हो, साथ ही आयु 65 वर्ष से कम हो, केवल उन्हीं आवेदनकर्ताओं को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया है।"तदनुसार, 26.03.2025 को न्यू सर्किट हाउस, नवा, रायपुर में साक्षात्कार के लिए 33 उम्मीदवारों को बुलाया गया।

6. चयन समिति ने 09.05.2025 के अपने निर्णय के माध्यम से निम्नलिखित निर्णय लिया है, जिसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"(1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में जारी विज्ञापन क्रमशः दिनांक 05.09.2022, 07.02.2024 एवं विज्ञापन दिनांक 04.03.2025 के संदर्भ में, आवेदन आमंत्रित किये जाने की अंतिम तिथि तक कार्यालयीन समय पर प्राप्त आवेदनों की संख्या क्रमशः 94, 58 एवं 79, कुल 231 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। कुल 231 आवेदन पत्र 172 आवेदनकर्ताओं से प्राप्त हुए। 172 आवेदनकर्ताओं में से 163 आवेदनकर्ताओं द्वारा राज्य सूचना आयुक्त के पद हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
(2) गठित सर्च समिति द्वारा सभी आवेदनों की प्रारंभिक स्क्रूटनी किया गया। आवेदनों की संख्या अधिक होने के कारण समिति द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि, आवेदक के आवेदन–पत्र और संलग्न दस्तावेजों में उल्लेखित अनुसार जो विधि, विज्ञान और प्रोद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क या प्रशासन और शासन में अनुभव 25 वर्ष या उससे अधिक हो, साथ ही आयु 65 वर्ष से कम हो, केवल उन्हीं आवेदनकर्ताओं को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया है।"उक्त निर्णय के अनुसार, उम्मीदवारों को 28.05.2025 को न्यू सर्किट हाउस, नवा, रायपुर में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था।

7. याचिकाकर्ता ने 20.05.2025 को डब्लूपीपी(एस) संख्या 3775/2025 दायर की थी और मामले की सुनवाई 29.05.2025 को हुई थी, जिसमें इस न्यायालय ने उत्तरवादी को अगली सुनवाई की तारीख तक अंतिम चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से रोक दिया था।अंतरिम आदेश के तहत, प्रतिवादियों द्वारा कार्यवाही स्थगित रखी गई है।

8. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उत्तरवादी ने नई पात्रता शर्त (25+ वर्ष का अनुभव) लागू करके मनमाना कार्य किया है।चयन प्रक्रिया शुरू होने और आवेदन आमंत्रित किए जाने के बाद, नए पात्रता मानदंड लागू करना कानूनन अस्वीकार्य है और यह पूरी चयन प्रक्रिया को दूषित करता है, क्योंकि यह चयन प्रक्रिया के मध्य में ही नियमों में बदलाव करने के समान है।इस तर्क को पुष्ट करने के लिए वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते है, जो **तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय के मामले में (2025) 2 एससीसी 1 में प्रकाशित हुआ था,** जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश दिए थे: "65.2.भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ में अधिसूचित चयन सूची में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड को भर्ती प्रक्रिया के मध्य में नहीं बदला जा सकता है, जब तक कि मौजूदा नियम इसकी अनुमति न दें, या विज्ञापन, जो मौजूदा नियमों के विपरीत न हो, इसकी अनुमति न दे।यदि इस प्रकार का परिवर्तन मौजूदा नियमों या विज्ञापन के तहत अनुमेय भी है, तो परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 14 की आवश्यकता को पूरा करना होगा और गैर–मनमानी की कसौटी पर खरा उतरना होगा;

65.4.भर्ती निकाय, मौजूदा नियमों के अधीन रहते हुए, भर्ती प्रक्रिया को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए उचित प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं, बशर्ते अपनाई गई प्रक्रिया पारदर्शी, गैर–भेदभावपूर्ण/गैर–मनमानी हो और उसका उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध हो;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. वे आगे यह भी निवेदन करते है कि आक्षेपित कार्यवाही याचिकाकर्ताओं की मूल रूप से अधिसूचित मानदंडों के अनुसार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से विचार किए जाने की वैध अपेक्षा को विफल करती है।यह भी तर्क दिया गया है कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(5) और 15(6) में अनुभव की न्यूनतम अवधि निर्धारित नहीं है, और उत्तरवादी बिना किसी वैधानिक आधार के ऐसी शर्त नहीं जोड़ सकते है।यह भी तर्क दिया गया है कि सभी उम्मीदवारों को बदले हुए मानदंडों के बारे में सूचित करने के लिए कोई शुद्धिपत्र या नया विज्ञापन जारी नहीं किया गया, जिससे चयन प्रक्रिया मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण हो जाती है। इसलिए, वे संपूर्ण चयन प्रक्रिया को रद्द करने की प्रार्थना करते हैं या वैकल्पिक रूप से यह तर्क दिया गया है कि उन्हें साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति दी जाए।आगे यह तर्क दिया गया है कि शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया सभी उम्मीदवारों को ज्ञात नहीं थी, इसलिए यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंजली भारद्वाज बनाम भारत संघ मामले में 2019 (18) एससीसी 246 में दिए गए निर्णय का उल्लंघन है, विशेष रूप से अनुच्छेद 66.3 का, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्देश दिया है:

" 66.3.इसी प्रकार, चयन समिति के लिए उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया के मानदंडों को सार्वजनिक करना भी उचित होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चयन वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत मानदंडों के आधार पर किया जाए।"

10. रिट याचिका संख्या 3775/2025 में याचिकाकर्ता ने उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया में चयन समिति की कार्यवाही की आलोचना करते हुए प्रत्युत्तर दाखिल किया है और कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

अंजली भारद्वाज (उपरोक्त) मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि उत्तरवादी ने चयन के लिए तर्कसंगत और सार्वजनिक रूप से ज्ञात मानदंडों को नहीं अपनाया है, जो निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांत के विरुद्ध है और पूरी चयन प्रक्रिया को दूषित करता है। याचिकाकर्ता ने याचिका को स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

11. दूसरी ओर, विद्वान राज्य के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 4 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से एक (1) मुख्य सूचना आयुक्त का और तीन (3) सूचना आयुक्तों (संक्षेप में सूचना आयुक्त) के हैं। उक्त 4 पदों में से सूचना आयुक्तों के दो पद 20.03.2024 को भरे गए थे।सूचना आयुक्त का वह पद जो मई 2025 में रिक्त हो जाता, उसे भरने के लिए 04.03.2025 को एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए गए थे।माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका (डब्ल्यूपीसी 436/2018; अंजली भारद्वाज बनाम भारत संघ एवं अन्य) के अंतर्गत देश भर के राज्यों में मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त के पदों पर रिक्तियों के संबंध में एक याचिका दायर की गई थी। मामले की सुनवाई हुई और विभिन्न राज्यों द्वारा रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में दिए गए हलफनामों को ध्यान में रखते हुए 15.02.2019 के आदेश द्वारा इसका निराकरण किया गया।इसके बाद, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विविध आवेदन संख्या 1979/2019 दायर किया गया, जिसके द्वारा दिनांक 07.01.2025 के आदेश के माध्यम से राज्य सरकारों को नियुक्तियों की स्थिति और उन्हें पूरा करने के लिए आगे की समय सीमा बताते हुए हलफनामे दाखिल करने का निर्देश जारी किया गया है। सूचना अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार, सीआईसी और आईसी के पदों पर चयन चयन समिति द्वारा किया जाता है।यह चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंजली भारद्वाज बनाम भारत संघ और अन्य (उपरोक्त) मामले में पारित आदेश में भी चर्चा की गई है।आगे यह भी विचार किया गया है कि चयन समिति द्वारा चयन के लिए निर्धारित मानदंडों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि इन्हें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का समर्थन प्राप्त है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उन्होंने आगे बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में दिनांक 16.04.2025 के आदेश द्वारा आवेदनों की जांच के लिए एक चयन समिति का गठन किया गया था।इस समिति के गठन का उद्देश्य उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया के लिए मानदंड निर्धारित करना, उन आवेदनों की जांच करना और नियुक्ति हेतु चयन समिति को नामों की सिफारिश करना था। 09.05.2025 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार, कुल 172 आवेदकों से 231 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 163 आवेदन सूचना आयुक्त पद के लिए थे।समिति द्वारा निर्धारित मानदंड सूचना आयुक्त पद के लिए संबंधित क्षेत्र में 25 वर्ष का अनुभव था। इसके अतिरिक्त, साक्षात्कार 28.05.2025 को निर्धारित किया गया था और यह संपन्न हो चुका है।समिति की रिपोर्ट की एक प्रति छत्तीसगढ़ राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित

की गई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप मानदंडों के प्रकाशन के इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं हो सकता है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि इसे याचिका में संलग्न किया गया है।

13. उन्होंने आगे कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में मौजूद सूचनाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सूचना के अधिकार की व्यावहारिक व्यवस्था स्थापित करना है, ताकि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सके, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों का गठन किया जा सके और अधिनियम के तहत दायर सार्वजनिक सूचना प्राप्त करने वाले आवेदनों की अपीलों का समय पर निराकरण किया जा सके। इस प्रकार की नियुक्ति में कोई भी बाधा अधिनियम के निर्माण के उद्देश्य को विफल कर देगी, क्योंकि पद रिक्त पड़े रहेंगे।विज्ञापन और धारा 2(1) के तहत आवश्यक योग्यता का निर्धारण करने वाली शर्त का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि निर्धारित मानदंड सूचना अधिकार अधिनियम में निर्धारित क्षेत्रों का व्यापक ज्ञान, अनुभव और संबंधित क्षेत्र में ख्याति है।इस प्रकार, विज्ञापन में पहले से ही मानदंड निर्धारित हैं और चयन समिति द्वारा आवेदनों की छंटनी के लिए विचार किए गए मानदंड उक्त मानदंडों के अनुरूप हैं, इसलिए इसे मनमाना या अवैध नहीं कहा जा सकता है।इसके अतिरिक्त, चयन समिति द्वारा ऐसे मानदंड निर्धारित करने के अधिकार को कोई चुनौती न दिए जाने के कारण, इस संबंध में कोई विवाद विचारणीय नहीं होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि चयन प्रक्रिया के मध्य में नियमों में परिवर्तन किया गया है।यह अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि विज्ञापन में निर्धारित मानदंडों और चयन समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों की तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि दोनों एक ही प्रकार के हैं।जहां विज्ञापन में केवल एक मानदंड दिया गया है, जिसके आधार पर प्रक्रिया के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या को कम किया जा सके, वहां चयन समिति ने केवल ऐसे निर्धारित मानदंडों के भीतर एक ढांचा प्रदान किया है, जिसे किसी भी तरह से मानदंडों में बदलाव नहीं कहा जा सकता है।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे मानदंड निर्धारित करते या लागू करते समय अधिकारियों द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया गया है।याचिकाकर्ताओं के इस तर्क के संबंध में कि चयन समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों का उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है, यह निवेदन किया जाता है कि यह आधार याचिकाकर्ताओं को तब उपलब्ध होगा जब किसी कानून की संवैधानिकता पर प्रश्न उठाया जाता है।वर्तमान मामले में, चूंकि कोई भी कानून न्यायिक जांच के दायरे में नहीं है, इसलिए ऐसे आधार उठाना अत्यंत भ्रामक होगा और ये याचिकाएं खारिज किए जाने योग्य हैं।

15. उन्होंने आगे बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा एक हलफनामा दाखिल किया गया था जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की लंबित भर्ती प्रक्रिया का विवरण दिया गया था।इसमें यह भी कहा गया है कि लंबित प्रक्रिया उक्त हलफनामे दाखिल करने की तिथि से छह महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी, जो 14.06.2025 को पूरी होगी।कानून की यह स्थापित स्थिति है कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले किसी भी उम्मीदवार को नियुक्त होने का कोई कानूनी या निहित अधिकार नहीं है।केवल एक को ही सही माना जाना चाहिए।वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं ने ऐसा कोई मामला नहीं बनाया

है जिससे यह साबित हो कि उत्तरवादी द्वारा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ताओं को प्राप्त किसी कानूनी या निहित अधिकार के अभाव के आधार पर ये याचिकाएँ खारिज की जा सकती हैं।

16. हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा लिए गए रुख को ध्यान में रखते हुए, सभी हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन स्वीकार किए जाते हैं और उन्हें अपने तर्क पेश करने की अनुमति दी जाती है।उन्होंने राज्य द्वारा उठाए गए तर्कों का समर्थन किया है और रिट याचिकाओं को खारिज करने के साथ–साथ इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की है।

17. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

18. पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्क से, इस न्यायालय द्वारा निर्धारण के लिए उभरा मुद्दा यह है कि क्या चयन समिति द्वारा उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंजली भारद्वाज (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय के विरुद्ध है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. इस बिंदु को समझने के लिए, इस न्यायालय के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सुसंगत कंडिका को उद्धृत करना उचित होगा, जो इस प्रकार हैं::

" 66.3.इसी प्रकार, चयन समिति के लिए उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया के मानदंडों को सार्वजनिक करना भी उचित होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चयन वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत मानदंडों के आधार पर किया जाए।"

20. चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग करना पात्रता मानदंडों में बदलाव या उम्मीदवार की योग्यता में संशोधन के समान होगा और यह हमेशा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जांच का विषय होता है। यह विधि की सर्वमान्य स्थिति है कि जब भी विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, तो कुछ बुनियादी योग्यताएं और मानदंड निर्धारित किए जाते हैं और आवेदकों के आवेदनों पर विचार करने से पहले उनके पास वे बुनियादी योग्यताएं और मानदंड होने चाहिए।चयन बोर्ड या आयोग को यह तय करना होता है कि आवेदकों में से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों के चयन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।अधिकांश सेवाओं में, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को सीमित करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट या लिखित परीक्षा शुरू की गई है।उम्मीदवारों के चयन से संबंधित नियमों या विवरणिका में ऐसे स्क्रीनिंग टेस्ट या लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है।लेकिन जहां चयन केवल साक्षात्कार के आधार पर किया जाना है, वहां आयोग या चयन बोर्ड साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या निर्धारित करने के लिए कोई भी तर्कसंगत प्रक्रिया अपना सकता है।21. यह भी सर्वविदित है कि जब भी चयन केवल साक्षात्कार के आधार पर किया जाना हो, तो ऐसे साक्षात्कार/मौखिक परीक्षाएं उम्मीदवार के व्यक्तित्व का निष्पक्ष और संतोषजनक मूल्यांकन करने के लिए पूरी तरह से और वैज्ञानिक तरीके से आयोजित की जानी चाहिए, इसलिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग चयन प्रक्रिया का अभिन्न अंग है।संक्षिप्त चयन के लिए एकमात्र शर्त यह है कि यह

तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए।वर्तमान मामले में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति की जानी है, जो अत्यंत संवेदनशील पद हैं और सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुभव रखने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। इसलिए, उम्मीदवारों के पास व्यापक अनुभव होना चाहिए, जो उन्हें उस क्षेत्र में एक निश्चित अवधि तक कार्य करने के बाद प्राप्त हो सकता है।वर्तमान मामले में, चयन समिति ने पद की संवेदनशीलता और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए संबंधित क्षेत्र में 25 वर्ष के अनुभव और 65 वर्ष से कम आयु के उम्मीदवार की आयु का मानदंड निर्धारित किया है। इस प्रकार, यह बीच में ही प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं है, बल्कि नियुक्ति के लिए नियुक्त किए जाने वाले पद की संवेदनशीलता को वस्तुनिष्ठ रूप से ध्यान में रखा गया है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तेज प्रकाश (उपरोक्त) और अंजली भारद्वाज (उपरोक्त) के मामलों में संक्षिप्त सूचीकरण के सिद्धांत को मान्यता दी है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने तेज प्रकाश (उपरोक्त) मामले में निम्नलिखित **कंडिका में शॉर्टलिस्टिंग की जांच की है, जो इस प्रकार है:**

"निष्कर्ष

65. इसलिए, हम निम्नलिखित शब्दों में संदर्भ का उत्तर देते हैं:

65.1.भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्त पदों को भरने के साथ समाप्त होती है;

65.2.भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ में अधिसूचित चयन सूची में शामिल होने के लिए पात्रता मानदंड को भर्ती प्रक्रिया के मध्य में तब तक नहीं बदला जा सकता जब तक कि मौजूदा नियम इसकी अनुमति न दें, या विज्ञापन, जो मौजूदा नियमों के विपरीत न हो, इसकी अनुमति न दे।यद्यपि मौजूदा नियमों या विज्ञापन के तहत ऐसा परिवर्तन अनुमेय है, तब भी परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 14 की आवश्यकता को पूरा करना होगा और मनमानी न होने की कसौटी पर खरा उतरना होगा।

65.3.के. मंजुश्री (उपरोक्त) का निर्णय वैधानिक है और सुभाष चंद्र मारवाहा (उपरोक्त) के निर्णय के विपरीत नहीं है।सुभाष चंद्र मारवाहा (उपरोक्त) का मामला चयन सूची से नियुक्ति के अधिकार से संबंधित है, जबकि के. मंजुश्री (उपरोक्त) का मामला चयन सूची में शामिल होने के अधिकार से संबंधित है।इसलिए, दोनों मामले पूरी तरह से अलग–अलग विवाद्यक से संबंधित हैं।

65.4.भर्ती निकाय, मौजूदा नियमों के अधीन रहते हुए, भर्ती प्रक्रिया को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं, परंतु कि अपनाई गई प्रक्रिया पारदर्शी, गैर–भेदभावपूर्ण/गैर–मनमानी हो और वांछित उद्देश्य से तर्कसंगत रूप से जुड़ी हो।

65.5.वैधानिक बल रखने वाले मौजूदा नियम भर्ती निकाय पर प्रक्रिया और पात्रता दोनों के संदर्भ में बाध्यकारी हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हालांकि, जहां नियम मौजूद नहीं हैं, या उनका उल्लेख नहीं है, वहां प्रशासनिक निर्देश उन कमियों को पूरा कर सकते हैं;

65.6.चयन सूची में नाम आने से नियुक्ति का कोई अविभाज्य अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। राज्य या उसका निकाय उचित कारणों से रिक्त पदों को न भरने का विकल्प चुन सकता है (पृष्ठ 44)। हालांकि, यदि रिक्तियां मौजूद हैं, तो राज्य या उसका निकाय चयन सूची में विचाराधीन क्षेत्र में आने वाले किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से नियुक्ति देने से इनकार नहीं कर सकता है।"

22. इस प्रकार, यह सुस्पष्ट है कि उम्मीदवारों की संख्या और कम रिक्ति को देखते हुए चयन समिति ने उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग में कोई अवैधता नहीं की है।माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस स्थिति में उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची बनाने की विधि पर भी विचार किया है, जब नियुक्ति केवल साक्षात्कार के आधार पर ही की जानी हो। उनका तर्क है कि यदि सभी उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाए, तो इसमें बहुत समय लगेगा और उम्मीदवारों की उपयुक्तता की पूरी तरह से जांच नहीं हो पाएगी, जिससे संवेदनशील पदों पर चयन प्रभावित हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सेवा आयोग बनाम नवनीत कुमार पोटदार एवं अन्य के मामले में, जो 1994 में प्रकाशित हुआ था,(6) एससीसी 293 में अनुच्छेद 6, 7, 8 और 11 में संक्षिप्त सूची बनाने की प्रक्रिया की जांच इस प्रकार की है:

6. प्रश्न यह है कि क्या आयोग ने चयन प्रक्रिया के दौरान श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की पात्रता के मानदंडों में कोई परिवर्तन या प्रतिस्थापन किया है। प्रारंभ में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाने पर कुछ बुनियादी योग्यताएं और मानदंड निर्धारित किए जाते हैं और आवेदकों के आवेदन पर विचार किए जाने से पहले उनके पास वे बुनियादी योग्यताएं और मानदंड होने चाहिए।चयन बोर्ड या आयोग को यह तय करना होगा कि आवेदकों में से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों के चयन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है।अधिकांश सेवाओं में, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या सीमित करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट या लिखित परीक्षाएँ शुरू की गई हैं।ऐसे स्क्रीनिंग टेस्ट या लिखित परीक्षाएँ उम्मीदवारों के चयन को नियंत्रित करने वाले संबंधित नियमों या विवरणिका में निर्धारित हैं।लेकिन जहाँ चयन केवल साक्षात्कार के आधार पर किया जाना है, वहाँ आयोग या चयन बोर्ड साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या निर्धारित करने के लिए कोई भी तर्कसंगत प्रक्रिया अपना सकता है।न्यायालयों ने समय-समय पर यह बात स्पष्ट की है कि जहाँ चयन केवल साक्षात्कार के आधार पर किया जाना है, वहाँ उम्मीदवार के व्यक्तित्व का निष्पक्ष और संतोषजनक मूल्यांकन करने के लिए ऐसे साक्षात्कार/मौखिक परीक्षाएँ पूरी तरह से और वैज्ञानिक तरीके से आयोजित की जानी चाहिए।

7. हरमन फाइनर ने अपनी पुस्तक 'थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट' के पृष्ठ 779 पर लिखा है: "यदि हम वास्तव में सरकार के एक साधन के रूप में सिविल सेवा की दक्षता को महत्व देते हैं, न कि केवल प्रतिभाशाली छात्रों के लिए करियर बनाने के एक वरदान के रूप में, तो इन सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए। साक्षात्कार दो अलग–अलग अवसरों पर कम से कम आधे घंटे का होना चाहिए।"यह साक्षात्कार लगभग पूरी तरह से उम्मीदवार की शैक्षणिक रुचियों पर केंद्रित होना चाहिए, जैसा कि उसके परीक्षा पाठ्यक्रम में दर्शाया गया है। इस विषय पर एक संक्षिप्त मौखिक रिपोर्ट भी मांगी जा सकती है, जिसका दायरा साक्षात्कार के दौरान घोषित किया जाएगा।

8. साक्षात्कार आयोजित करने का एकमात्र उद्देश्य आवेदकों में से सर्वश्रेष्ठ की खोज और चयन करना है। यह स्पष्ट है कि यदि निर्धारित मानदंडों और योग्यताओं के आधार पर योग्य पाए गए सभी आवेदकों का साक्षात्कार होने तक प्रतिदिन बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाता है, तो एक संतोषजनक मौखिक परीक्षा आयोजित करना असंभव होगा।यदि चार पदों के लिए बड़ी संख्या में आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, तो समय की कमी के कारण साक्षात्कार अनौपचारिक और सतही ही होगा। आयोग के सदस्य साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का उचित मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि संघ लोक सेवा आयोग ने उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के संदर्भ में साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को बुलाने का एक अनुपात भी निर्धारित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11.अशोक कुमार यादव बनाम हरियाणा राज्य के प्रकरण में कहा गया थाः(एससीसी पृ.446, कंडिका 20) "साढ़े पाँच घंटे के एक दिन में केवल 11 से 12 उम्मीदवारों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थितियों में, 1300 से अधिक उम्मीदवारों की इतनी बड़ी और अनियंत्रित संख्या का साक्षात्कार करना असंभव होगा।इसके परिणामस्वरूप साक्षात्कार अनौपचारिक, सतही और लापरवाहीपूर्ण होंगे, और ऐसे साक्षात्कारों में किया गया मूल्यांकन उम्मीदवार के व्यक्तित्व का सही आकलन नहीं कर पाएगा।"

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने त्रिदीप कुमार डिंगल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में, जो 2009 (1) एससीसी 768 में प्रकाशित हुआ है, अनुच्छेद 38 में संक्षिप्त सूचीकरण की जांच इस प्रकार की है:

"38. राज्य सरकार की ओर से यह तर्क कि लिखित परीक्षा उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूचीकरण के लिए थी और 'बहिष्करण परीक्षा' के स्वरूप की थी, निःसंदेह इसमें सार है, क्योंकि अभिलेखों से पता चलता है कि मेडिकल टेक्नोलॉजी के लगभग 80 पद थे और लगभग 4,000 उम्मीदवारों ने नियुक्ति के लिए आवेदन किया था।इसलिए, राज्य अधिकारियों के पास लिखित परीक्षा आयोजित करके उम्मीदवारों की 'स्क्रीनिंग' करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।"यह पाया गया कि संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुए कोई भर्ती नियम नहीं बनाए गए थे और इसलिए ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी।हालांकि, हमारी राय में, वैधानिक प्रावधान के अभाव में भी, प्रशासनिक निर्देशों के आधार पर इस तरह की कार्रवाई हमेशा की जा सकती है – बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को 'बाहर करने' और 'शॉर्टलिस्ट करने' के उद्देश्य से, बशर्ते कि यह कार्रवाई अन्यथा सद्भावनापूर्ण और उचित हो।..."

25. फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बी. रामाकिचेनिन @बालागांधी बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में, जो 2008 (1)एससीसी 362 में प्रकाशित हुआ है, अनुच्छेद 17 से 19 और 23 में संक्षिप्त सूचीकरण की जांच इस प्रकार की है:

"17. हालांकि, वैध चयन के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए:

(i) यह किसी तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ आधार पर होना चाहिए।उदाहरण के लिए, यदि किसी पद के लिए चयन करना हो जिसके लिए न्यूनतम योग्यता बीएससी डिग्री है, और यदि योग्य आवेदकों की संख्या अधिक है, तो चयन निकाय बीएससी में कुछ न्यूनतम अंक निर्धारित करके चयन कर सकता है और केवल उन्हीं उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है जिन्होंने ये अंक प्राप्त किए हों।यह प्रक्रिया तब भी अपनाई जा सकती है, जब नियम या विज्ञापन में यह उल्लेख न हो कि केवल उन्हीं उम्मीदवारों को पद पर नियुक्त किया जाएगा जिनके पास उपर्युक्त न्यूनतम अंक होंगे।इस प्रकार, शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया केवल एक व्यावहारिक वैकल्पिक उपाय है जिसका पालन न्यायालयों ने विभिन्न निर्णयों में किया है, क्योंकि अन्यथा चयन और नियुक्ति अधिकारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वे सैकड़ों–हजारों योग्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार नहीं ले पाएंगे।

(ii) यदि नियम या विज्ञापन में चयन की कोई निर्धारित विधि बताई गई है, तो केवल उसी विधि का पालन किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. वर्तमान मामले में, निःसंदेह, यूपीएससी ने एक वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत मानदंड का सहारा लिया है कि केवल उन्हीं उम्मीदवारों पर विचार किया जाएगा जिनके पास एमएससी की डिग्री प्राप्त करने के बाद दो वर्ष का अनुभव है, जबकि जिन उम्मीदवारों के पास एमएससी की डिग्री प्राप्त करने से पहले ऐसा अनुभव है, उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया जाएगा।सामान्यतः हम इस प्रक्रिया पर आपत्ति नहीं उठाते क्योंकि यह वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित है, और सामान्यतः यह न्यायालय प्रशासनिक निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करता है (टाटा सेलुलर बनाम भारत संघ, एआईआर 1996 एससी 11)।उक्त निर्णय में जैसा कहा गया है, आधुनिक दृष्टिकोण यह है कि न्यायालय प्रशासनिक मामलों में संयम बरतना है।

19. अतः, यदि यूपीएससी द्वारा या किसी वैधानिक नियम में शॉर्टलिस्टिंग की विधि निर्धारित नहीं की गई होती, तो संभव है कि प्रतिवादियों के विद्वान वकील की दलील स्वीकार कर ली जाती और हम यूपीएससी द्वारा अपनाई गई शॉर्टलिस्टिंग की विधि में हस्तक्षेप नहीं करते है, क्योंकि यह तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित प्रतीत होती है।

23. यदि यूपीएससी के विज्ञापन में कंडिका 3.1 शामिल न होता, तो संभवतः हम प्रतिवादियों के पक्ष में निर्णय लेते, क्योंकि उस स्थिति में यूपीएससी को अपनी पसंद की किसी भी तर्कसंगत विधि से उम्मीदवारों की छंटनी करने की छूट थी (बशर्ते वह विधि निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ हो)।हालांकि, वर्तमान मामले में, कंडिका 3.1 में उम्मीदवारों की छंटनी का एक विशेष तरीका निर्धारित किया गया है।इसलिए, यूपीएससी के लिए उम्मीदवारों

की छंटनी के किसी अन्य तरीके का सहारा लेना संभव नहीं है, भले ही वह अन्य तरीका निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ कहा जा सके।"

26. रिट याचिकाओं में दिए गए कथनों से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क नहीं दिया है कि चयन समिति द्वारा उम्मीदवारों की सूची बनाने की प्रक्रिया में दुर्भावना या मनमानी थी, या यह तर्कसंगत या वस्तुनिष्ठ रूप से नहीं अपनाई गई थी।इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि उम्मीदवारों की सूची बनाते समय चयन समिति द्वारा कोई अवैधता की गई है।याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया एकमात्र तर्क यह है कि चयन समिति ने उम्मीदवारों की सूची बनाने से पहले चयन के निर्णय को प्रकाशित नहीं किया, इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंजली भारद्वाज (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्देश का उल्लंघन हुआ है।याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह दलील गलत है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश नहीं दिया है कि इसे पहले प्रकाशित किया जाना चाहिए; वास्तव में, शॉर्टलिस्टिंग के लिए पूर्व शर्त केवल यह है कि इसका पालन तर्कसंगत और वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिवादियों द्वारा सावधानीपूर्वक किया गया है।वैसे भी, याचिकाकर्ताओं ने कहीं भी यह तर्क नहीं दिया है कि शॉर्टलिस्टिंग की विधि के प्रकाशन न होने के कारण उन्हें कोई नुकसान हुआ है, जो कि इस न्यायालय के लिए खोज समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का सर्वोपरि विचार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. उपरोक्त चर्चा और मामले के कानून एवं तथ्यों पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी ने उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया में कोई भी ऐसी गैरकानूनी गतिविधि नहीं की है जिससे उत्तरवादी द्वारा शुरू की गई संपूर्ण चयन प्रक्रिया अमान्य हो जाए।परिणामस्वरूप, सभी रिट याचिकाएं खारिज किए जाने योग्य हैं और तदनुसार, उन्हें खारिज किया जाता है।इस पर कोई वाद व्यय देय का कोई आदेश नहीं किया जाता है।

28. इस न्यायालय द्वारा 29.05.2025 को पारित अंतरिम आदेश को रद्द किया जाता है।

सही/–
(नरेंद्र कुमार व्यास)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur